प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश तिवारी
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 (पी0ए0) एक्ट,
गाजीपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषयः **कार संख्या–यू0पी0 71 ई 5747 को विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में :**

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मेरे द्वारा एक कार सेन्ट्रो हुण्डई यू0पी0–71–ई–5747 दिनांक 09.11.2005 को भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, फतेहपुर से रूपये 2,50,000/–रूपये ऋण प्राप्त करके और शेष धनराशि स्वयं के पास से व्यय करके, खन्ना हुण्डई, कानपुर से क्रय की गयी थी, जिसका सम्पूर्ण विवरण मेरे द्वारा पूर्व में (माह दिसम्बर 2005) माननीय न्यायालय के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया था।

उक्त कार से सम्बंधित सम्पूर्ण ऋण की अदायगी मेरे द्वारा मुझे प्रति माह प्राप्त होने वाले वेतन से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा फतेहपुर से की जा चुकी है।

उपरोक्त कार पुरानी हो जाने के कारण खराब हो गयी थी और चलने योग्य नहीं रह गयी थी। जिसके कारण मेरे द्वारा उक्त कार को विक्रय किये जाने हेतु सिटी आटोमोबाईल, गाजीपुर जो जनपद गाजीपुर में सेकेण्ड हैण्ड कारों के क्रय–विक्रय का कार्य अथराईज्ड एजेन्सी के रूप में करती है, को दे दी गयी थी। उक्त एजेन्सी द्वारा मेरी उपरोक्त कार को श्री राम कृष्ण, आरक्षी थाना कोतवाली को मु0–50,000/–रूपये में विक्रय करने की सूचना मुझे दी गयी, जिस पर मेरी सहमति के पश्चात मेरी उपरोक्त कार को श्री राम कृष्ण को मु0–50,000/–रूपये में विक्रय कर दिया गया। श्री राम कृष्ण द्वारा उक्त विक्रीत धनराशि का भुगतान मेरे बचत खाता संख्या–20007095022, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा गाजीपुर में दिनांक 11.04.2022 को कर दिया गया। ततपश्चात मेरे द्वारा उक्त कार की विक्रीत धनराशि मु0–50,000/–रूपये को अपने रेनाल्ट डस्टर कार संख्या UP 78 EY 5747 के ऋण खाता संख्या–37222171142, भारतीय स्टेट बैंक में चेक संख्या–142213 के माध्यम से जमा किया गया है। (उपरोक्त किये गये अन्तरण की रसीदों की छाया प्रतियॉ माननीय न्यायालय के सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न हैं।)

माननीय न्यायालय को सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रेषित है। कृपया अभिलेख पर लेने की कृपा करें।

आदर सहित ।

भवदीय

(चन्द्र प्रकाश तिवारी)
ID No.UP 6023
विशेष न्यायाधीश,एस0सी0/एस0टी0
(पी0ए0) एक्ट,गाजीपुर।

दिनांक 05.05.2022

604/XV 05.05.2022

अग्रसारित
जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर
05/05/2022

संलग्नकः यथोपरि